# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

## (सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

### –:: आदेश ::–

प्रखण्ड स्तर पर सभी DBT आधारित योजनाओं जैसे अबुआ आवास/मनरेगा/स्कॉलरशिप/यूनिफार्म/सर्वजन पेंशन/मंईयां सम्मान योजना/पशुधन/सावित्री बाई फुले आदि के लाभुकों के लिए आधार का बैंक खाता संख्या के साथ सीडिंग आवश्यक है ताकि आधार आधारित भुगतान हो सके।

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बोकारो जिला को निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने प्रखण्ड स्थित बैंको के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रतिदिन पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 01:00 बजे तक ऐसे सभी लाभुकों का जिनके आधार के साथ उनके बैंक खाता की सीडिंग नहीं हुई है को युद्ध स्तर पर कैम्प मोड में सीडिंग कराना सुनिश्चित करेंगें।

चूकि सीडिंग नही होने की स्थिति में विभिन्न योजनाओं के योग्य लाभुक योग्यता के बावजूद भी इन योजनाओं का लाभ नही ले पाते है जिसके कारण आमजन मानस में रोष उत्पन्न होता है। सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी इसे गंभीरता से लेंगे तथा सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे साथ ही प्रतिदिन 06:00 बजे अपराहन तक विभागवार, योजनावार सीडिंग किए गए लाभुकों का दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

उपायुक्त
बोकारो।

ज्ञापांक:–146/सा0सु0, बोकारो, दिनांक–25/03/2025

प्रतिलिपि:– DPO, Uidai, बोकारो/ अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक, जोधाडीह मोड, चास, बोकारो/ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बोकारो/ सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बोकारो/जिला कल्याण पदाधिकारी, बोकारो/ जिला पंचायती राज पदाधिकारी /जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त
बोकारो।